2017/00430

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री कानाराम गोदारा निवासी दुकान नं. 27 श्रीधर कोम्प्लेक्स स्वास्तिक पार्क नियर श्रीराम मारबल अलथान रोड़ सूरत (गुजरात) : ब ना म : लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर प्रथम सूचना अपील संख्या 242/17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	: निर्णय :	
21.11.17	1. पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी हाजिर नहीं। लोक सूचना अधिकारी के विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 08.08.17 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर से चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एंव अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर के विभागीय प्रतिनिधि ने अपने जवाब पत्रांक 1661 दिनांक 17.10.17 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपनिदेशक समाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, बीकानेर एंव उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर से संबंधित होने के कारण आर.टी.आई. की धारा 6(3) के तहत कार्यालय के पत्र संख्या 1441–42 दिनांक 04.9.17 से लोक सूचना अधिकारी एवं उपनिदेशक समाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, बीकानेर एवं उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर को हस्तान्तरित करते हुए अपीलार्थी को रजिस्टर्ड पत्र से सूचित किया गया है। कार्यालय स्तर पर भी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर को अपील का जवाब पेश करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। 4. सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर के पत्रांक 1661–63 दिनांक 17.10.17 से निर्देश प्राप्त होने के बावजूद ना तो अपील का जवाब पेश किया गया है व ना ही उनके प्रतिनिधि उपस्थित आये तथा ना ही अपीलार्थी को अपीलोत्तर भिजवाया गया है। 5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उखण्ड अधिकारी, बीकानेर के धारण/नियंत्रण में हो तो वांछित सूचना नियत समयावधि में अपीलार्थी को दी जानी चाहिए थी। 6. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए नियमानुसार अपीलार्थी के प्रार्थना–पत्र का निस्तारण 15 दिवस के अंदर किया जा कर उसकी सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को आवश्यक रूप से भिजवाई जावे। 7. सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर को पाबन्द किया जाता है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत जारी नोटिस का जवाब समयावधि में इस न्यायालय में प्रस्तुत करना तथा नियमित पैरवी करना सुनिश्चित करावें। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कौताही नहीं बरती जावे। 8. निर्णय आज दिनांक 21.11.17 को लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो (अनिल गुप्ता) प्रथम सूचना अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, बीकानेर प्रथम सूचना अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, बीकानेर	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official